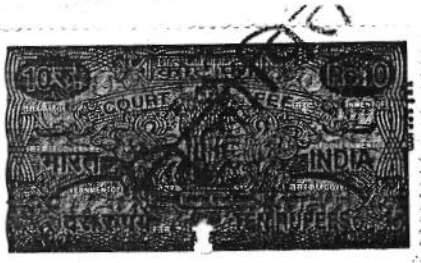

<u>न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.</u>

प्र. क्र. /17-निगरानी

1. रामेश्वरदास आत्मज कवीरा चौधरी,
2. गुलाबदास आत्मज रामेश्वर दास चौधरी
3. सावलदास आत्मज रामेश्वर दास चौधरी
4. कमलदास आत्मज रामेश्वर दास चौधरी,

सभी-निवासी ग्राम बदरा, थाना भालूमाड़ा
जिला अनूपपुर (म.प्र.)

.... **आवेदकगण/निगराकारगण**

बनाम

राजकुमार पिता स्व. रामावतार शर्मा,
आयु 38 वर्ष, निवासी-ग्राम बदरा तहसील व
जिला अनूपपुर (म.प्र.) ....**अनावेदक**

<u>राजस्व निगरानी</u>

<u>निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 22.06.017 यालय नायब तहसीलदार अनूपपुर पीठासीन अधिकारी श्रीमान तिवारी साहब जिला अनूपपुर म.प्र. क्रं -04/अ-70/16-17 राजकुमार बनाम रामेश्वरदास वगैरह ।</u>

मान्यवर,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

<u>प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न है :-</u>

आराजी खसरा नं.-1855 (विवादित), 1856, 1857 रकवा क्रमश: 0.073 है. 0.105 है. 0.142 है. वाका ग्राम बदरा के भूल–पूर्व

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/अनूपपुर/भू.रा./2017/2524 रामेश्वरदास **विरूद्ध** राजकुमार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-12-2018 31.12.18	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस.पी.धाकड़ उपस्थिति । आवेदक के द्वारा नायब तहसीलदार अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 04/अ-70/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 22-06-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 03-08-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर अनूपपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि	

लेकर कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 31.12.18
सदस्य